

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ईमेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख) (से.नि.) / अलेसे-1/ 2512

दिनांक:- 1 / 02 / 2019

आदेश संख्या : 111 / 2018-19

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात्) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.सं	लिंक नम्बर	मेरिट/बैच	नाम सलेअ-11 सर्वश्री	जन्मतिथि	से.नि.तिथि
1	2	3	4	5	6
1	4172	144/90	दूधाराम चौधरी	06-04-59	30-04-19
2	4841	451/88	अमृतलाल टांक	07-04-59	30-04-19
3	5750	291/90	शिवशंकर शर्मा	15-04-59	30-04-19
4	5529	353/88	सुरेश चन्द जैन	01-05-59	30-04-19
5	9079	DGS	श्रीमती इन्द्रा शर्मा	01-05-59	30-04-19
6	4074	347/92	देवेन्द्र सिंह शेखावत	09-05-59	31-05-19
7	5096	118/92R	पवन कुमार पारीक	13-05-59	31-05-19
8	3575	396/92	महेश चंद व्यास	13-06-59	30-06-19
9	2390	146/92R	रामेश्वर लाल	01-07-59	30-06-19
10	831	301/83	रमेश कुमार शर्मा	02-07-59	31-07-19
11	2318	407/92	रघुनन्दन वैष्णव	02-07-59	31-07-19
12	4762	464/88	प्रेमकुमार शर्मा	05-07-59	31-07-19
13	2839	31/83	वृंदावन बिहारी शर्मा	25-07-59	31-07-19
14	4525	467/88	देशराज बत्तरा	05-08-59	31-08-19
15	5855	734/88	सुमेर सिंह गुर्जर	05-08-59	31-08-19
16	4284	538/94	दामोदर प्रसाद शर्मा	10-08-59	31-08-19
17	5187	467/90	त्रिपाल सिंह भाटी	10-08-59	31-08-19
18	4896	695/88	राजेश कुमार वर्मा	01-09-59	31-08-19
19	8641	163/81	ज्ञानचन्द जैन	08-09-59	30-09-19
20	4563	109/92R	बाल किशन स्वामी	17-09-59	30-09-19
21	3244	50/92 Sp	नेमीचन्द	05-10-59	31-10-19
22	5537	380/88	सुरेश कुमार पंजाबी	13-10-59	31-10-19
23	3968	296/81	ओम प्रकाश सारण	30-10-59	31-10-19
24	5239	614/86	लक्ष्मण राम कृष्णियाँ	03-12-59	31-12-19
25	5047	461/88	मूलचन्द भाटी	05-12-59	31-12-19
26	3125	576/90	जीत सिंह	10-12-59	31-12-19

27	6024	300/94	विनोद कुमार सिंह	15-12-59	31-12-19
28	3314	110/92R	नित्य किशोर सोनी	01-01-60	31-12-19
29	4150	715/88	जगमाल सिंह पूनिया	01-01-60	31-12-19
30	5833	716/88	श्यामसुन्दर साध	05-01-60	31-01-20
31	3551	336/92	महेन्द्र प्रताप	25-01-60	31-01-20
32	8684	733/81	गोविन्द शरण गुप्ता	03-02-60	29-02-20
33	8530	313/86	कैलाश चन्द पारीक	11-02-60	29-02-20
34	4583	108/92R	चौद मल सुथार	22-02-60	29-02-20
35	6258	DGS/88	श्रीमती विनय चौहान	09-03-60	31-03-20
36	5682	604/88	शहादत अली	15-03-60	31-03-20

वित्त (नियम) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 13 एवं 23 पर अंकित कार्मिक के अतिरिक्त अन्य के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II में से राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3(ख) (से.नि.) / अलेसे-II / 2512

दिनांक:- 1/02/2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
..... को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/ प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती है तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवाये जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. कोषाधिकारी
6. श्री, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
8. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेत।
9. डीपीसी/जांच/अलेसे-I/अलेसे-II/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)